


BILL NO. 04 OF 2018

THE DELHI APPROPRIATION (No.3) BILL, 2018



**(As introduced in the Legislative Assembly of the
National Capital Territory of Delhi on 09 August, 2018)**


C. Velmurugan
Secretary
Legislative Assembly
National Capital Territory of Delhi
Old Sectt. Delhi-110054

THE DELHI APPROPRIATION (No.3) BILL, 2018

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2018-2019.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.3) Act, 2018.

Issue of
₹1347,04,48,000/- from
and out of the
Consolidated Fund of the
National Capital Territory
of Delhi for the financial
year 2018-2019.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Thirteen Hundred Forty Seven crore Four Lakh Forty Eight Thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2018-2019 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(₹ In thousands)


SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	100	0	100
2	General Administration	Revenue	1042400	0	1042400
3	Administration of Justice	Revenue	51300	2400	53700
		Capital	150000	0	150000
4	Finance	Revenue	100000	12570	112570
5	Home	Revenue	10000	0	10000
6	Education	Revenue	700	583	1283
		Capital	1500000	0	1500000
7	Medical and Public Health	Revenue	400500	9000	409500
		Capital	350000	0	350000
8	Social Welfare	Revenue	43450	0	43450
9	Industries	Revenue	0	0	0
10	Development	Revenue	47445	0	47445
11	Urban Development and Public Works	Capital	9750000	0	9750000
	Total		13445895	24553	13470448



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No 3) Bill, 2018 is introduced in pursuance of sub-section (l) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.


(Manish Sisodia)
Dy. Chief Minister / Finance Minister

Delhi
August, 2018



MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.3) Bill, 2018 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.



विधेयक संख्या (04) 2018

दिल्ली विनियोग (संख्या 03) विधेयक, 2018



(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक
09 अगस्त, 2018 को पास किया गया)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shri. Velmurugan'.

सी. वेलमुरुगन
सचिव
विधान सभा
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018

वर्ष 2018-2019 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2018 है।

₹1347,04,48,000 /-
का वर्ष 2018-2019 में
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली की संचित निधि में
से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तेरह सौ सैंतालिस करोड़ चार लाख अड़तालीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2018-2019 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।



अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व	100	0	100
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1042400	0	1042400
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	51300	2400	53700
		पूँजी	150000	0	150000
4	वित्त	राजस्व	100000	12570	112570
5	गृह	राजस्व	10000	0	10000
6	शिक्षा	राजस्व	700	583	1283
		पूँजी	1500000	0	1500000
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	400500	9000	409500
		पूँजी	350000	0	350000
8	समाज कल्याण	राजस्व	43450	0	43450
9	उद्योग	राजस्व	0	0	0
10	विकास	राजस्व	47445	0	47445
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	पूँजी	9750000	0	9750000
	योग		13445895	24553	13470448



उद्देश्यों और कारणों का विवरण


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2018, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।



दिल्ली

अगस्त, 2018


(मनीष सिसोदिया)
उप-मुख्य मंत्री / वित्त मंत्री

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

